



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3262

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18069 वर्ष 2025

संजीव त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	गणेश कुमार
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. पुनरावलोकित वादसूची में मामले को लिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, हालांकि अधिवक्ता श्री गणेश कुमार का नाम वादसूची में छपा है। राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल उपस्थित हैं और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा, सहायक अधिवक्ता श्री योगेश कुमार तिवारी के साथ उपस्थित हुए हैं।

2. दिनांक 02.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस मामले को 17.12.2025 को दोपहर 2:00 बजे नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए, इस स्पष्ट शर्त के साथ कि किसी भी परिस्थिति में मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा।"

3. रिट याचिकाकर्ता ने प्रस्तर-3 में अपनी प्रामाणिकता का खुलासा करते हुए इस रिट याचिका को दायर किया है, जो इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“याचिकाकर्ता संजीव त्रिपाठी, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक सौघाट के निर्वाचित सदस्य और ग्राम छपिया लुटावां, पोस्ट ओडवारा, ब्लॉक सौघाट, जिला बस्ती के स्थायी निवासी हैं और उनका इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।”

4. इसके बाद 17.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

“प्रार्थना के अनुसार, 07.01.2026 को दोपहर 2.00 बजे अतिरिक्त वादसूची में शामिल करें।”

5. निम्नलिखित प्रमुख अनुतोषों की मांग की गई है:

“ए. याचिकाकर्ता के आवेदन/प्रत्यावेदन दिनांक 27.05.2025 पर विचार करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को निर्देश देने वाला परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें।

बी. जनहित के विरुद्ध कदाचार और भ्रष्टाचार करने के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को परमादेश के रूप में रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।”

6. न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, विशेष रूप से तब जब मांगे गए अनुतोष के दृष्टिगत वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है और इससे भी बढ़कर, वर्तमान रिट याचिका अधिकारपृच्छा की प्रकृति की भी नहीं है, साथ ही, यह याचिका कुछ हद तक जनहित याचिका की श्रेणी में आती है, जो सेवा संबंधी मामलों में विचारणीय नहीं होती है।

7. तदनुसार, रिट याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए **खारिज** किया जाता है, रिट याचिकाकर्ता के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने की खुली छूट है।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)